रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257775
CG-DL-E-09102024-257775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/ आश्विन 17, 1946
No. 572]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ ASHVINA 17, 1946

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि. 627 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (समूह 'क') नियम, 2022 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (समूह 'क') नियम, 2022 के उप नियम(2) में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),

(i) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'परीक्षा' से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरी सेवा परीक्षा अभिप्रेत है।

(ii) उप नियम 2(ढ) को उपनियम 2(ण) के रूप में पुनः संशोधित किया जाएगा।

(iii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(ढ) 'उप-काडर' से सेवा के कोई भी आठ वर्ग, अर्थात्, यातायात, लेखा, कार्मिक, सिविल, विद्युत, यांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार और भंडार अभिप्रेत हैं।

3. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

कनिष्ठ समयमान श्रेणी में रिक्तियों को 50% आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा के आधार पर यातायात, कार्मिक और लेखा के उप काडर के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा और सिविल, विद्युत, यांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार और भंडार के काडर के लिए इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

4. उक्त नियमों की अनुसूची-I के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची-I

[नियम 2(ङ), 2(ज), 2(ञ,ट,ठ,ड), 4(1), 4(2) और 6(1) देखें]

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा में शामिल ड्यूटी पदों की श्रेणियां, पदनाम, स्वीकृत पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-

क्र. सं.	ड्यूटी पदों की श्रेणियां	पदनाम @		वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या *
		रेलें	रेलवे बोर्ड		
1.	शीर्ष	--	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य, महानिदेशक	स्तर 17 (रु. 225000)	7
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+	महाप्रबंधक	अपर सदस्य	स्तर 16 (रु. 205400-224400)	59
3.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रधान मुख्य प्रबंधक	प्रधान कार्यपालक निदेशक	स्तर 15 (रु. 182200-224100)	345
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	मुख्य प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	स्तर 14 (रु. 144200-218200)	1333
5.	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	उप मुख्य प्रबंधक	निदेशक	स्तर 13 (रु. 123100-215900)	3270 वरिष्ठ समयमान और उससे ऊपर के कुल पदों का 30% तक अकृत्यिक चयन श्रेणी में होगा #
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	उप मुख्य प्रबंधक	लागू नहीं	स्तर 12 (रु. 78800-209200)	
7.	वरिष्ठ समय मान	वरिष्ठ प्रबंधक/ मंडल प्रबंधक	लागू नहीं	स्तर 11 (रु. 67700-208700)	1797
8.	कनिष्ठ समय मान	सहायक प्रबंधक	लागू नहीं	स्तर 10 (रु. 56100-177500)	1647
कुल					8458

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

@ कार्य की प्रकृति के आधार पर नए पदनाम जोड़े जा सकते हैं।

(क) काडर की समग्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं है।

(ख) अकृत्यिक चयन श्रेणी में प्रचालित किए जाने वाले पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

उप काडर वार संख्या निम्नानुसार है:-

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा काडर									
श्रेणी	**यातायात**	**कार्मिक**	**लेखा**	**सीविल**	**विद्युत**	**यांत्रिक**	**सिगनल**	**भंडार**	**कुल**
शीर्ष	7								7$
उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+	5	2	4	5	4	5	3	2	30+29*=59
उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	42	18	40	85	42	50	39	29	345
वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	163	65	129	333	171	203	155	114	1333
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी/ अकृत्यिक चयन श्रेणी	392	171	286	858	450	486	348	279	3270
वरिष्ठ समय मान	234	113	250	384	190	274	231	121	1797
कनिष्ठ समय मान	264	111	118	295	220	337	194	108	1647
कुल	**1101**	**481**	**828**	**1961**	**1078**	**1356**	**971**	**653**	**8458 $*#**

$ शीर्ष काडर-बाह्य

* उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+ काडर-बाह्य

01.01.2015 के बाद सृजित 29 राजस्व पद शामिल हैं।

5. उक्त नियमों की अनुसूची-II में

(क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:

"भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के 08 उप काडरों में उच्चतर ड्यूटी पदों या ग्रेडों पर प्रोन्नति पर नियुक्ति की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा।"

(ख) स्तंभ (3) के क्रम संख्यांक 8 में, " केंद्रीय सरकार या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित आयु, शैक्षिक अर्हताओं और अन्य शर्तों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"केंद्रीय सरकार या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित आयु, शैक्षिक अर्हताओं और अन्य शर्तों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा";

(ग) स्तंभ 4 के क्र.सं. 8 में, "वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 या स्तर 9 में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के ऐसे समूह 'ख' अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।" प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"भारतीय रेल के सभी विभागों अर्थात् कार्मिक, लेखा, यातायात, यांत्रिक इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी और भंडार विभाग के समूह 'ख' अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 या स्तर 9 की श्रेणी में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो"

टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण करने वाले, स्तर 8 या स्तर 9 की पोषक श्रेणियों के विद्यमान पदधारियों की प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 2: भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के कनिष्ठ समयमान में प्रोन्नति कोटा के लिए उपलब्ध रिक्तियों को इन विभागों की संयुक्त समूह 'ख' के संख्याबल में समूह 'ख' के संख्याबल के प्रतिशत के भाग के अनुपात में आठ उप-काडरों में संवितरित या समनुदेशित किया जाएगा।"

6. उक्त नियमों की अनुसूची-III में, शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :

"भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के 8 उप-काडरों के समूह 'क' ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति या पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और वेतन मैट्रिक्स में एक विनिर्दिष्ट स्तर में वेतन वाले मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति, जिसके लिए अकृत्यिक उन्नयन लागू है।"

(फा. सं. 2022/ई(जी)/आरआर/23/1-भाग(2))

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड-(i) में सा.का.नि. सं.119 (अ) तारीख 15 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th October, 2024

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments to the Indian Railway Management Service (Group 'A') Rules, 2022, namely:-

1.

(i) These rules may be called the Indian Railway Management Service (Amendment) Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railway Management Service (Group 'A') Rules, 2022, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

1. for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-
   " 'Examination' means the Civil Services Examination and Engineering Services Examination conducted by the Union Public Service Commission."

2. clause (n) shall be renumbered as clause (o)

3. after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:-
"(n) 'sub-cadre' means any of the eight streams of the Service, namely, Traffic, Accounts, Personnel, Civil, Electrical, Mechanical, Signal and Telecommunication and Stores."

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (i), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

" (a) Fifty per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through Civil Services Examination for the sub-cadres of Traffic, Personnel and Accounts and through Engineering Services Examination for the sub-cadres of Civil, Electrical, Mechanical, Signal and Telecommunication and Stores, conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age-limit specified by the Government in consultation with the Commission";

4. In the said rules, for Schedule- I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

(See Rules 2(e), 2(h), 2(j,k,l,m), 4(1), 4(2) and 6(1))

The grades, designations, number of sanctioned posts and level in the pay matrix of duty posts included in the Indian Railway Management Service:-

<table>
<tr><th rowspan="2">S.N.</th><th rowspan="2">Grades of duty post</th><th colspan="2">Designation @</th><th rowspan="2">Level in pay matrix</th><th rowspan="2">Number of posts*</th></tr>
<tr><th>Railways</th><th>Railway Board</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Apex</td><td>--</td><td>Chairman and Chief Executive Officer, Member, Director General</td><td>Level 17 (Rs. 225000)</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>HAG+</td><td>General Manager</td><td>Additional Member</td><td>Level 16 (Rs. 205400-224400)</td><td>59</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>HAG</td><td>Principal Chief Manager</td><td>Principal Executive Director</td><td>Level 15 (Rs. 182200-224100)</td><td>345</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Senior Administrative Grade</td><td>Chief Manager</td><td>Executive Director</td><td>Level 14 (Rs. 144200-218200)</td><td>1333</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Non-Functional Selection Grade (NFSG)</td><td>Deputy Chief Manager</td><td>Director</td><td>Level 13 (Rs. 123100-215900)</td><td rowspan="2">3270
Up to 30% of total Posts of Senior Time Scale and above will be in Non Functional Selection Grade #</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Junior Administrative Grade</td><td>Deputy Chief Manager</td><td>Not Applicable</td><td>Level 12 (Rs. 78800-209200)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Senior Time Scale</td><td>Senior Manager or Divisional Manager</td><td>Not Applicable</td><td>Level 11 (Rs. 67700-208700)</td><td>1797</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Junior Time Scale</td><td>Assistant Manager</td><td>Not Applicable</td><td>Level 10 (Rs. 56100-177500)</td><td>1647</td></tr>
<tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>8458</td></tr>
</table>

* subject to variation dependent on workload

@ Subject to new designations being introduced based on nature of work.

(a) There is no increase in overall strength of the cadre.

(b) The number of posts to be operated in Non-Functional Selection Grade shall not exceed the total number of sanctioned posts in Junior Administrative Grade.

Sub- cadre wise strength is as under:-

IRMS CADRE									
Grade	**Traffic**	**Personnel**	**Accounts**	**Civil**	**Electrical**	**Mechanical**	**Signal**	**Stores**	**Total**
Apex	7								7$
HAG+	5	2	4	5	4	5	3	2	30+29*=59
HAG	42	18	40	85	42	50	39	29	345
SAG	163	65	129	333	171	203	155	114	1333
JAG/NFSG	392	171	286	858	450	486	348	279	3270
STS	234	113	250	384	190	274	231	121	1797
JTS	264	111	118	295	220	337	194	108	1647
Total	**1101**	**481**	**828**	**1961**	**1078**	**1356**	**971**	**653**	**8458 $*#**

$ Apex Ex-cadre

* HAG$^+$ Ex-cadre.

inclusive of 29 revenue posts created after 01.01.2015”;

5. In the said rules, in Schedule-II,-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted namely:-

“Method of appointment, field of selection and the minimum qualifying service for promotion to the higher duty posts(s) or Grade(s) in the 08 Sub cadres of Indian Railway Management Service”.

(b) against S.N. 8, in column (3), for the entries “50 per cent by direct recruitment through the Civil Services Examination as per age, educational qualifications and other conditions as notified by the Central Government or Union Public Service Commission from time to time”, the following entries shall be substituted, namely:-

“50 per cent by direct recruitment through the Civil Services Examination and Engineering Services Examination as per age, educational qualifications and other conditions as notified by the Central Government or Union Public Service Commission from time to time”;

(c) against S.N. 8, in column (4), for the entries “Group ‘B’ officers of Indian Railway Management Service, in level 8 or level 9 in the pay matrix with minimum three years regular service in the grade”, the following entries shall be substituted, namely:-

“Group ‘B’ officers of all Departments *viz.* Personnel, Accounts, Traffic, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Signal and Telecommunication Engineering, Electrical Engineering and Stores Departments of Indian Railways, in level 8 or level 9 in the pay matrix with minimum four years regular service in the grade.

Note 1: Eligible service for promotion for existing incumbents in the feeder grades in level-8 or level-9, holding the post on regular basis on the date of notification of these rules, shall continue to be three years.

Note 2: Vacancies available for promotion quota in Junior Time Scale of Indian Railway Management Service shall be distributed or assigned amongst the eight

Sub cadres in proportion to their percentage share of Group 'B' strength in the combined Group 'B' strength of these Departments."

6. In the said rules, in Schedule-III, for the heading, the following heading shall be substituted namely:-

"Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' duty posts of the 8 Sub cadres of Indian Railway Management Service and Screening Committee for considering the cases carrying pay in a specific level in the pay matrix for which Non-Functional Up gradation is applicable."

(F.No. 2022/E(G)RR/23/1-Part(2))

ANVITA SINHA, Executive Director, Estt.(Gaz. Cadre)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-Section (i), Extraordinary, *vide* G.S.R. No. 119(E), dated the 15th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.09 16:33:34 +05'30'